न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

बइजलास :– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

मु0न0:– 614/2016

निर्णय दिनांकः– 17/06/2017

चन्दाराम पुत्र मोहरूराम जाति जाट निवासी ग्राम रेनवाल मांजी तहसील फागी जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर ।

प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ताः– श्री सुरेन्द्र कुमार टेलर वकील वादी

–:: घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती ::–

–:: निर्णय ::– दिनांक 17.06.2017

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप्त इस प्रकार है कि खाता संख्या 103 के ख0न0 1667 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा, खाता संख्या 104 के ख0न0 1793, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824 कुल किता 11 कुल रकबा 52 बीघा 14 बिस्वा, खाता संख्या 446 के ख0न 1833, 1834, 1836 कुल किता 03 कुल रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा, खाता संख्या 447 के ख0न0 1803 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, खाता संख्या 456 के ख0न0 1797, 1798, 1800, 1801, 1802, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1819, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1835, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1847, 1848, 1852, 1853, 1855 कुल किता 35 कुल रकबा 49 बीघा 08 बिस्वा भूमि वाके ग्राम रेनवाल तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसका वादी मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्सेनुसार रिकार्डेड खातेदार है। एवं मौके पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराता चला आ रहा है। वादी के कब्जे काश्त की आराजी में वादी का नाम रामचन्द्र पुत्र मोहरू दर्ज हो रखा है। जबकि वादी का वास्तबिक नाम चन्दाराम पुत्र मोहरूराम है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिये था चन्दाराम पुत्र मोहरू के बजाय राजस्व रिकार्ड में रामचन्द्र पुत्र मोंहरू दर्ज हो गया है जो गलत है। वादी के अन्य दस्तावेजो में वादी का नाम यथा राशन कार्ड आधार कार्ड, वोटर आई डी, जॉब कार्ड बैंक पास बुक भामाशाह सिडिग व ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में पूर्णतया प्रमाणित है वादी का नाम चन्दाराम पुत्र मोहरू है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होना चाहिये। वादी को अपनी

लगातार..................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

उक्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर विकास कार्य व आराजी पर किसान क्रेडिट कार्ड लोन लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। वादी ने अनेको बार हल्का पटवारी व तहसीलदार फागी को मौखिक एवं लिखित में प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन वादी के गलत इन्द्राज को आज तक सही नही किया गया। अभी हाल ही में दिनांक 15.07.2016 को वादी ने तहसीलदार फागी के यहॉ व्यक्तिशः हाजिर होकर गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया तो तहसीलदार फागी ने वादी को कहा कि सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ तब ही गलत इन्द्राज दुरूस्त होगा। वादी का वाद कारण दिनांक 15.07.2016 को तब उत्पन्न हुआ जब तहसीलदार फागी ने वादी को कहा कि सक्षम न्यायालय से आदेश लाने हेतु कहा। वाद को सुननें व निस्तारण करने का श्रीमान न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जारी की गई। तहसीलदार फागी ने जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

साक्ष्य हेतु वादी ने स्वंय व गोहरूराम पुत्र मोहरूराम जाति जाट, जयराम पुत्र मोहरूराम के शपथ पत्र पेश किये जो शमिल मिसल किये गये तथा अपने शपथ पत्रों में रामचन्द्र पुत्र मोहरूराम के स्थान चन्दाराम पुत्र मोहरूराम दुरूस्त करने बाबत पेश किया।

बहस सुनी गई। वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यो के दौहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा अवलोकन करने पर पत्रावली मे संलग्न वादी के दस्तावेजो की छायाप्रति वोटर आईडी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक वादी का नाम चन्दाराम अंकित है। तथा ग्राम पंचायत रेनवाल मांजी द्वारा दिनांक 29.06.2016 को जारी प्रमाण पत्र में चन्दाराम पुत्र मोहरूराम व रामचन्द्र पुत्र मोहरूराम दोनो एक ही व्यक्ति होना बताया हैं तथा वादी ने वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया है। उपरोक्त तथ्यो में प्रकाश में हम वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते हैं

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 103 के ख0न0 1667 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा, खाता संख्या 104 के ख0न0 1793, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824 कुल किता 11 कुल रकबा 52 बीघा 14 बिस्वा, खाता संख्या 446 के ख0न 1833, 1834, 1836 कुल किता 03 कुल रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा, खाता संख्या 447 के ख0न0 1803 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, खाता संख्या 456 के ख0न0 1797, 1798, 1800, 1801, 1802, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1819, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1835, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1847, 1848, 1852, 1853, 1855 कुल किता

लगातार...............3

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

35 कुल रकबा 49 बीघा 08 बिस्वा भूमि वाके ग्राम रेनवाल तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अंकन रामचन्द्र पुत्र मोहरू के स्थान पर चन्दाराम पुत्र मोहरूराम दुरूस्त किये जाने के तहसीलदार फागी को आदेश दिये जाते है। तथा वादी को अपने हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/06/2017 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

चन्दाराम बनाम राजस्थान सरकार
मु0न0:— 614/2016

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत— उपखण्ड अधिकारी फागी(जयपुर)

बइजलास— **सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)**

उनवान

चन्दाराम पुत्र मोहरूराम जाति जाट निवासी ग्राम रेनवाल मांजी तहसील फागी जिला जयपुर।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर ।

::— वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती ::—

मुकदमा नं0 — 614/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 103 के ख0न0 1667 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा, खाता संख्या 104 के ख0न0 1793, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824 कुल किता 11 कुल रकबा 52 बीघा 14 बिस्वा, खाता संख्या 446 के ख0न 1833, 1834, 1836 कुल किता 03 कुल रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा, खाता संख्या 447 के ख0न0 1803 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, खाता संख्या 456 के ख0न0 1797, 1798, 1800, 1801, 1802, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1819, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1835, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1847, 1848, 1852, 1853, 1855 कुल किता 35 कुल रकबा 49 बीघा 08 बिस्वा भूमि वाके ग्राम रेनवाल तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अंकन रामचन्द्र पुत्र मोहरू के स्थान पर चन्दाराम पुत्र मोहरूराम दुरूस्त किये जाने के तहसीलदार फागी को आदेश दिये जाते है। तथा वादी को अपने हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

निज.................मुबलिग.................बाबत.................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.................फीसदी...........सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक........... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17/06/2017 को जारी की गई।

दस्तखत.................

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

मुहर

ओहदा.................

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	Nil		फीस कमीश्नर	Nil	
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर